WIEGO
Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing
जनपहल EMPOWERING PEOPLE JANPAHAL
60 ANNIVERSARY igsss Indo-Global Social Service Society
Celebrating the Spirit of Humanity
दिसंबर 2020

असंगठित क्षेत्र पर कोविड-19 संकट का प्रभाव:
दिल्ली में असंगठित कामगार

दिल्ली के एक व्यस्त बाजार में भोजन विक्रेता (यह तस्वीर कोविड-19 महामारी की शुरुआत से पहले ली गई थी). फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी

मुख्य निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी के कारण, केवल चार घंटे के नोटिस पर देश भर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया. इस कारण दिल्ली के ऐसे लाखों कामगारों पर असर पड़ा, जो रोज़ी-रोटी के लिए असंगठित क्षेत्र पर निर्भर हैं. लॉकडाउन के दौरान असंगठित कामगारों के काम में अचानक गिरावट आने के कारण उनकी आय में कमी आई. आर्थिक गतिविधियों को दोबारा बहाल करने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में धीरे-धीरे छूट दी गई, इसके बावजूद असंगठित कामगारों पर संकट बना रहा. आय में कमी और कर्ज में वृद्धि के कारण कामगारों की परेशानियाँ बहुत बढ़ गई. इसके अलावा बच्चों और बूढ़ों की देखभाल की ज़िम्मेदारियां भी पहले से अधिक हो गई. दीर्घकालिक सहायता तक कोई पहुँच ना होने के कारण रिकवरी (स्थिति सामान्य होना) धीमी और कठिन हो गई है.

1. **राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण कुछ क्षेत्रों में लगभग पूरी आजीविका का नुकसान हो गया:**

   99% घरेलू कामगार, 90% फुटपाथ विक्रेता, 71% घर खाता कामगार और 67% कचरा कामगार अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के कारण काम नहीं कर पाए. अप्रैल में, घरेलू कामगारों की आय शून्य दर्ज की गई, जबकि फुटपाथ विक्रेता, कचरा कामगारों और घर खाता कामगारों की कमाई लगभग 90% कम हो गई.

2. **लॉकडाउन के बाद से कुछ रोज़गार वापस आ गए हैं, लेकिन कमाई अभी भी अपने पुराने स्तर पर नहीं पहुँची है:**

   जून/जुलाई में लॉकडाउन प्रतिबंधों में छूट मिलने पर कुछ कामगार वापस काम पर लौट सके. लगभग 80% कचरा कामगार, 42% घरेलू कामगार और 53% फुटपाथ विक्रेताओं ने इस दौरान काम शुरू किया, लेकिन घर खाता कामगारों में से केवल 25% को ही काम मिल पाया है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन कामगारों को काम मिला वह भी अत्यंत सीमित है. लॉकडाउन से पहले के मुक़ाबले अब प्रति सप्ताह कम दिनों के लिए काम मिल रहा है.

   इन चार क्षेत्रों के असंगठित कामगारों की औसत कमाई में भारी गिरावट आई है. सर्वेक्षण के दौरान 97% कामगारों ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण घरेलू आय में पहले के मुक़ाबले कमी आई है. 54% कामगारों ने बताया कि पिछले महीने उन्हें कोई घरेलू आय नहीं हुई है.

3 **कई असंगठित कामगारों को लॉकडाउन के दौरान भूखा रहना पड़ा:**

सर्वेक्षण के अनुसार पिछले महीने 35% कामगार परिवारों में वयस्कों को भूखा रहना पड़ा.

4 **कोविड-19 संकट के कारण महिलाओं के ऊपर बच्चों और बूढ़ों की देखभाल की ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं:**

51% कामगारों ने बताया कि घरों में बच्चों की देखभाल का बोझ बढ़ गया है. 38% कामगारों ने उन पर आश्रित वृद्धों की देखभाल पर अधिक समय खर्च होने की बात जाहिर की. पुरुषों की तुलना में महिलाओं पर खाना पकाने, घर की सफाई, बच्चों और बूढ़ों की देखभाल की ज़िम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं.

5 **असंगठित कामगारों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (पीपीई) का व्यापक उपयोग किया गया है:**

96% कामगारों ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे मास्क और दस्तानों का नियमित उपयोग किया.

6 **कई असंगठित कामगारों को संकट के दौरान सरकार से नकदी या भोजन के रूप में कुछ सहायता मिली. हालांकि, लगभग सभी कामगारों ने सिविल सोसायटी दवारा दिए जा रहे समर्थन के महत्व का भी ज़िक्र किया:**

कोरोना संकट के दौरान कुल कामगारों में से 32% ने सरकार से नकद अनुदान और 73% ने खाद्य सहायता प्राप्त की. हालांकि, कामगारों के स्वामित्व वाले सदस्यता-आधारित संगठनों (एमबीओ) और 'सिविल सोसायटी' ने संकट से राहत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई. सर्वेक्षण में 93% कामगारों ने अपने 'एमबीओ' या अन्य गैर सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त होने का ज़िक्र किया.

7 **कोरोना महामारी के दौरान, असंगठित कामगारों को संकट से निपटने के लिए कई दूसरे तरीक़ों का भी सहारा लेना पड़ा, जैसे बचत की हुई राशि का उपयोग करना, पैसा उधार लेना या दूसरे रोज़गार तलाश करना.**

रोज़गार और आय के स्रोतों की कमी से जूझ रहे फुटपाथ विक्रेताओं (78%) और कचरा कामगारों (57%) के लिए अपनी बचत की हुई राशि का उपयोग करना, इस संकट से निपटने का मुख्य ज़रिया था. घरेलू कामगार (64%) और घर खाता कामगार (43%), जैसे कम आय वाले समूहों के लिए पैसे उधार लेना इस समस्या से निपटने का सबसे आम तरीक़ा रहा.

परिप्रेक्ष्य

कोविड-19 संकट और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, 'वुमेन इन इन्फ़ॉर्मल एम्प्लॉयमेंट: ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गनायज़िंग' (WIEGO) के नेतृत्व में की गई, बारह शहरों की एक लॉंगिट्यूडनल स्टडी है. यह असंगठित कामगारों के विशिष्ट समूहों और उनके परिवारों पर, कोविड-19 संकट के प्रभावों का आकलन करती है. पहले राउंड में फरवरी 2020 (कोविड-19 से पूर्व) से परिस्थितियों की तुलना करते हुए विशेषकर दो अवधियों का डेटा एकत्र किया गया. पहला, अप्रैल 2020 (जब अधिकांश शहरों में प्रतिबंध सबसे उच्च स्तर पर थे) और दूसरा जून/जुलाई 2020 (जब अधिकांश शहरों में प्रतिबंधों को कम कर दिया गया था). इस डेटा को एकत्र करने के दौरान सर्वेक्षण प्रश्नावली और गहन साक्षात्कारों का उपयोग करते हुए कोविड-19 संकट के प्रभावों का आकलन किया गया. दूसरे राउंड में यह अध्ययन किया जाएगा कि कोविड-19 से पूर्व और पहले राउंड की तुलना में 2021 की पहली छमाही में क्या अंतर आया है. इसमें कोविड-19 के निरंतर पड़ते प्रभावों के मुकाबले रिकवरी के संकेतों का आकलन किया जाएगा.

यह रिपोर्ट दिल्ली में किए गए पहले राउंड के अध्ययन का सारांश प्रस्तुत करती है. दिल्ली में शोधकर्ताओं ने चार क्षेत्रों के 270 असंगठित कामगारों का सर्वेक्षण किया: घर खाता कामगार, कचरा कामगार, फुटपाथ विक्रेता और घरेलू कामगार. यह अध्ययन सेवा (SEWA) दिल्ली, जनपहल, और 'दिल्ली राउंडटेबल ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट' (DRT) के साथ साझेदारी में किया गया है.

दिल्ली, भारत में असंगठित क्षेत्र[1]

दिल्ली में अधिकांश कामगार असंगठित रूप से काम करते हैं. नवीनतम अनुमानों के अनुसार दिल्ली में क़रीब 49.2 लाख असंगठित कामगार हैं. ये संख्या कुल कार्यबल के 80% से भी अधिक है. महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग 15% हिस्सा हैं, लेकिन इनमें से 76.4% महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं. पुरुषों के लिए भी रोजगार का मुख्य स्रोत असंगठित क्षेत्र ही है. 81.5% पुरुष कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं.

[1] इस खंड के सभी आंकड़े रवींद्रन, गोविंदन और जोआन वानेक 2020, भारत में असंगठित कामगार: एक सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल से लिए गए हैं. WIEGO सांख्यिकीय संक्षिप्त संख्या 24 .

घर खाता कामगार, घरेलू कामगार, फुटपाथ विक्रेता और कचरा कामगार, ये सब मिलकर दिल्ली के कुल कामगारों का 14% और असंगठित क्षेत्र के कामगारों का 17% हिस्सा हैं. असंगठित महिला कामगारों के लिए ये चार क्षेत्र, कुल रोजगार का लगभग 22% और असंगठित क्षेत्र के रोजगार का लगभग 30% हिस्सा हैं.

दिल्ली में अधिकांश घर खाता कामगार और फुटपाथ विक्रेता स्व-नियोजित हैं और स्व-रोज़गार करते हैं. सभी घरेलू कामगार और अधिकांश कचरा कामगार नियमित भत्ता कमाने वाले मज़दूर हैं.

सभी चार क्षेत्रों में अधिकांश कामगार, दैनिक रूप से बहुत लम्बा श्रम करते हैं. उन्हें बहुत कम भुगतान मिलता है और उनकी कमाई अक्सर न्यूनतम वेतन मानकों से भी कम होती है. सभी कामगार समूहों में, पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम कमाती हैं.

"हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम कहीं और से नहीं आए हैं. हम इस देश को चलाने में मदद करते हैं. हम विक्रेता, फल, सब्जियां और कपड़े बेचकर प्रतिदिन दिल्ली के लिए 3 करोड़ रुपये का राजस्व पैदा करते हैं. कैसा भी मौसम हो, दिन हो या रात, हम आपके घरों में सब कुछ पहुँचाते हैं, हम अभी भी सड़कों पर काम कर रहे हैं. आख़िर सरकार को हमारी परेशानी क्यों नहीं दिखाई देती...?"

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

क्षेत्र समूह के हिसाब से उत्तरदाताओं की संख्या*

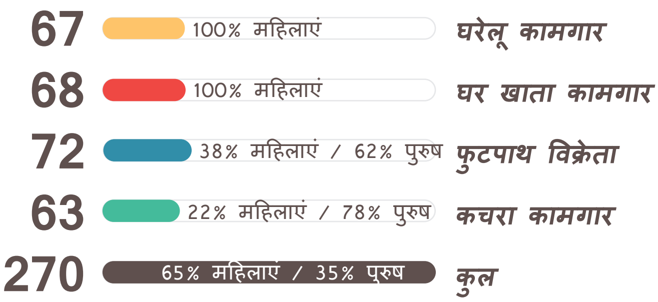

*270 उत्तरदाताओं द्वारा सर्वे पूरा किया गया, हालांकि सभी उत्तरदाताओं ने सारे सवालों के जवाब नहीं दिए. हर प्रश्न के लिए सैम्पल का आकार दर्शाया गया है.

उत्तरदाताओं का लिंग*

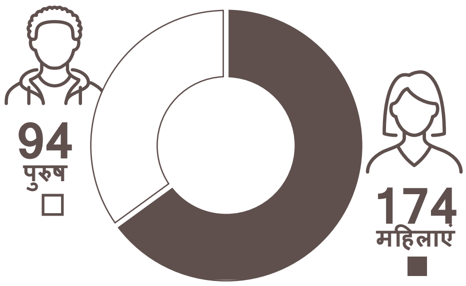

*दो उत्तरदाताओं ने लिंग पूछे जाने पर प्रतिक्रिया नहीं दी.

आयु सीमा*

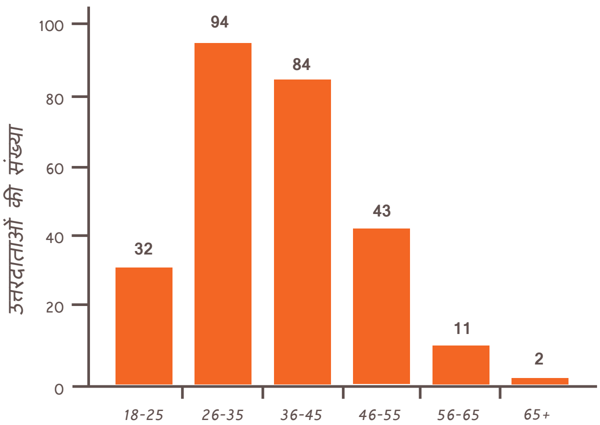

*कई उत्तरदाताओं ने अपनी उम्र नहीं बताई.

फरवरी में उत्तरदाताओं की औसत दैनिक आय (कोविड -19 पूर्व)

कोविड-पूर्व दैनिक औसत कमाई (फरवरी 2020)*	
फुटपाथ विक्रेता	710 रुपए (9.54 USD)
कचरा कामगार	376 रुपए (5.05 USD)
घरेलू कामगार	262 रुपए (3.52 USD)
घर खाता कामगार	165 रुपए (2.22 USD)

*74.45 रुपए 1 यूएस डॉलर के बराबर होते हैं. (नवंबर 2020).

कोविड-19 हेतु नीतिगत प्रतिक्रियाएं

समयरेखा

मार्च 2-12

- दिल्ली में पहले कोविड-19 मामले की सूचना मिली.
- विश्व स्वास्थ्य संगठनने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया.
- दिल्ली में महामारी रोग अधिनियम लागू किया गया और 31 मार्च तक स्कूलों, कॉलेजों और फ़िल्म थिएटर्स को बंद करने की घोषणा की गई.

मार्च 16-22

- दिल्ली सरकार ने सभी जिम, स्पा, नाइट क्लब और थिएटर्स को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया.
- 14 घंटे की स्वैच्छिक तालाबंदी लागू की गई जिसे भारत में 'जनता कर्फ्यू' कहा गया.

मार्च 24- 26

- डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम, 2005 का आह्वान कर 14 अप्रैल तक राष्ट्रव्यापी तालाबंदी की घोषणा की गई.
- दिल्ली जैसे बड़े शहरों से प्रवासी मज़दूरों का पलायन शुरू हुआ.
- भारत सरकार ने 1.7 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की, जिसमें प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा उपाय शामिल थे.

अप्रैल 4-14

- दिल्ली सरकार ने कामगारों के लिए मुफ्त राशन, पके हुए भोजन, प्रवासियों के लिए रैन बसेरे और पंजीकृत निर्माण कामगारों के लिए 5000 रु के नकद अनुदान की घोषणा की.
- राष्ट्रव्यापी तालाबंदी 3 मई तक बढ़ाई गई.

मई 1-13

- राष्ट्रव्यापी तालाबंदी 17 मई तक बढ़ा दी गई.
- प्रवासियों के लिए श्रमिक ट्रेनें शुरू की गई.
- 20 करोड़ रुपये के राजकोषीय और मौद्रिक पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें फुटपाथ विक्रेताओं के लिए स्वनिधि ऋण योजना और छोटे व्यवसायियों के लिए अन्य राहत शामिल हैं.

मई 17

- राष्ट्रव्यापी तालाबंदी 31 मई तक बढ़ाई गई.

जून 8

- चरणबद्ध रूप से अर्थव्यवस्था खुलनी शुरू हुई - अनलॉक 1.0

जुलाई 2

- दिशानिर्देश लागू होते हैं - अनलॉक 2.0

अगस्त 1

- दिशानिर्देश लागू होते हैं - अनलॉक 3.0

अगस्त 31

- दिशानिर्देश लागू होते हैं - अनलॉक 4.0

सितंबर 30

- दिशानिर्देश लागू होते हैं - अनलॉक 5.0

"हां! जो लोग अपने दैनिक भोजन और पानी के लिए अपने काम पर निर्भर हैं, उनके लिए यह लॉकडाउन बहुत कठिन था. जब लॉकडाउन के कारण उन्हें 2 महीने तक घर पर रहना पड़ता है, तो ज़रूर उसका भारी असर होगा. हमें सरकार से राशन मिला – चावल और गेहूं, लेकिन आप केवल चावल और गेहूं नहीं खा सकते, है ना? आपको अन्य चीजों की भी आवश्यकता होती है - सब्जियां, मसाले, रसोई गैस - यह सब तो आपको अब भी खरीदना होगा, इसलिए मैं चिंतित था कि मैं इस सब के लिए पैसा कहाँ से लाऊँगा?"

- कचरा कामगार (पुरुष)

काम पर प्रभाव

कोविड-19 संकट ने असंगठित कामगारों की काम करने और कमाने की क्षमता पर नाटकीय रूप से असर डाला है. केवल चार घंटे के नोटिस पर, 24 मार्च को भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया गया. अचानक हुए लॉकडाउन ने भीड़ और हलचल से भरे इस शहर को, एकदम से रोक कर रख दिया. इससे असंगठित कामगारों के लिए गंभीर वित्तीय और भावनात्मक तनाव पैदा हो गया. असंगठित कामगारों के लिए महामारी के मुकाबले, सख्त लॉकडाउन का ज़्यादा भारी प्रभाव था. काम बंद हो जाने से कामगारों के पास आजीविका कमाने का कोई ज़रिया नहीं बचा और इसके परिणामस्वरूप उन्हें भूख और असुरक्षा का सामना करना पड़ा.

उत्तरदाताओं का वह प्रतिशत जिन्होंने काम करना जारी रखा

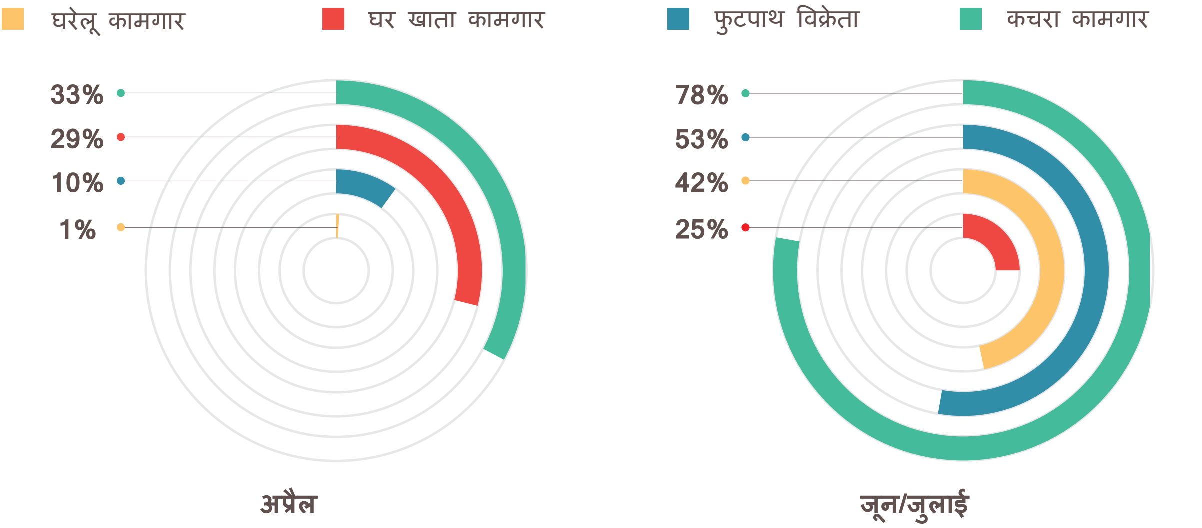

जब कामगारों से यह पूछा गया कि अप्रैल महीने में क्या वे एक दिन भी काम करने में समर्थ थे, तो अधिकांश कामगारों ने इस सवाल का नकारात्मक जवाब दिया. सबसे अधिक असर घरेलू कामगारों पर पड़ा, जिनमें से 99%, अप्रैल में कोई काम नहीं कर पाए. काम ना कर पाने वालों की सूची में इसके बाद 90% फुटपाथ विक्रेता और 67% कचरा कामगार थे.

लॉकडाउन के दौरान घरों से कचरा उठाने का काम जारी रहा. इसलिए कई कचरा कामगारों को अप्रैल में थोड़ा बहुत काम मिलता रहा. नगरपालिका द्वारा प्रदान की जाने वाली नियमित सेवा के अभाव को, कचरा उठाने वाले असंगठित कामगारों ने पूरा किया और दिल्ली के कई हिस्सों में अपनी सेवाएं प्रदान की. कुछ उत्तरदाताओं के पास व्यवसायिक पहचान पत्र भी थे, जिस कारण उन्हें काम मिलने में आसानी हुई.

घर खाता कामगार भी इस दौरान कुछ काम कर सके. इसमें मुख्य रूप से मास्क या अन्य पीपीई (PPE) बनाना शामिल था, जिनकी मांग अचानक बढ़ गई थी. कामगारों का यह सैम्पल ‘सेल्फ़ एम्प्लॉयड वोमेंस एसोसिएशन’ (SEWA), नाम के ‘एमबीओ’ के साथ जुड़ा हुआ है. लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद मार्च के अंत में SEWA, कामगारों के लिए फ़ेस मास्क बनाने का एक ठेका हासिल करने में सक्षम रहा.

कामगारों ने बताया कि इस अवधि में काम ना कर पाने के मुख्य कारण लॉकडाउन प्रतिबंध थे. फुटपाथ विक्रेताओं के अनुसार, बाज़ार बंद होना, ‘सप्लाई चेन’ में आई रुकावटें और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं उनकी मुख्य बाधाएं रहीं. घरेलू कामगारों के लिए काम ना कर पाने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें या तो काम से निकाला जा रहा था या काम पर बुलाया ही नहीं जा रहा था.

अप्रैल 2020 के दौरान काम नहीं कर पाने के कारण

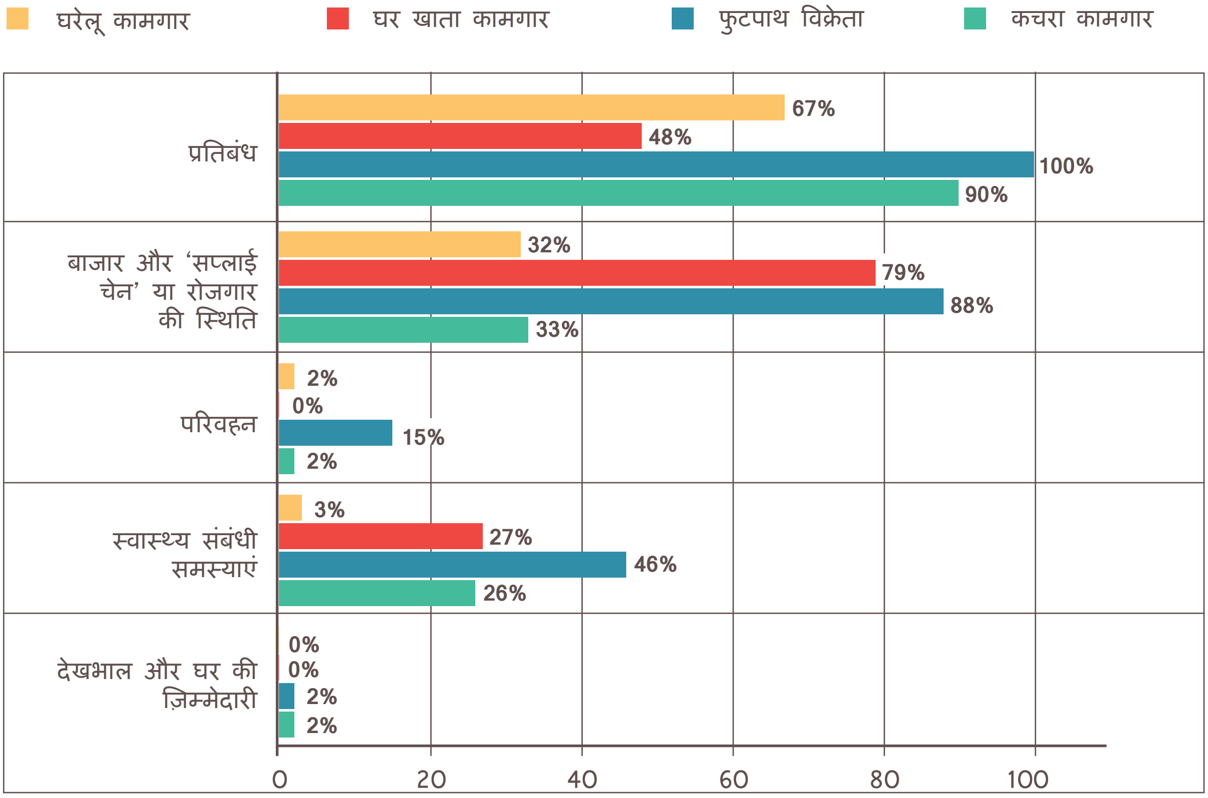

जून की शुरुआत में, चरणबद्ध रूप से अनलॉक दिशा-निर्देश लागू हुए, जिसके कारण अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे दोबारा खुलने लगी. जून से लेकर जुलाई तक, काम की आंशिक बहाली हुई. 78% कचरा कामगारों, 53% फुटपाथ विक्रेताओं और 42% घरेलू कामगारों ने बताया कि सर्वेक्षण से पिछले हफ़्ते में उन्होंने कम से कम एक दिन काम किया था, लेकिन घर खाता कामगारों की काम करने की क्षमता में काफ़ी गिरावट आई और आगे भी वह जारी रही. घर खाता कामगारों के साथ साक्षात्कार से पता चला कि मास्क बनाने का जो काम शुरुआती दिनों में मिला, वह भी धीरे-धीरे ख़त्म हो गया और उससे कुछ ख़ास कमाई नहीं हुई.

लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद भी 'सप्लाई चेन' का विघटन और रोजगार प्रतिबंध जारी रहे. घरेलू कामगारों ने बताया कि जून में सरकारी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बावजूद, कई नियोक्ताओं ने उन्हें काम पर नहीं बुलाया. घरेलू कामगार इस बीमारी के वाहक हो सकते हैं, इस अवधारणा और भय के कारण कई 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस' (RWA) ने घरेलू कामगारों के आवासीय परिसरों में प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाए रखे. बाज़ार बंद थे और खरीददार वापस नहीं लौटे थे, इस कारण सार्वजनिक जगहों में काम करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं और कचरा कामगारों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. 'सप्लाई चेन' में आ रही रुकावटों के कारण घर खाता कामगार भी प्रभावित हुए क्योंकि बाज़ार में उनके काम की मांग में भारी कमी थी.

"काम पूरी तरह बंद हो चुका है. मैं सड़क पर कामगारों को खाना बेचता था. महामारी में वे भी अपने गाँव वापस चले गए हैं. अब अगर ग्राहक ही नहीं हैं तो मैं अपना व्यवसाय कैसे करूंगा?"

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

"...हर किसी को असुविधा हो रही है...जिस दिन काम पर जाते हैं, बस उसी दिन के लिए पैसा मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं...हमें कोई मदद नहीं मिलती ...हम जिन कॉलोनियों में काम करते हैं, वहां के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स से उम्मीदें रखना बेकार है...वे हमारे जैसे लोगों के बारे में नहीं सोचते..."

- घरेलू कामगार (महिला)

जून / जुलाई में काम नहीं कर पाने के कारण*

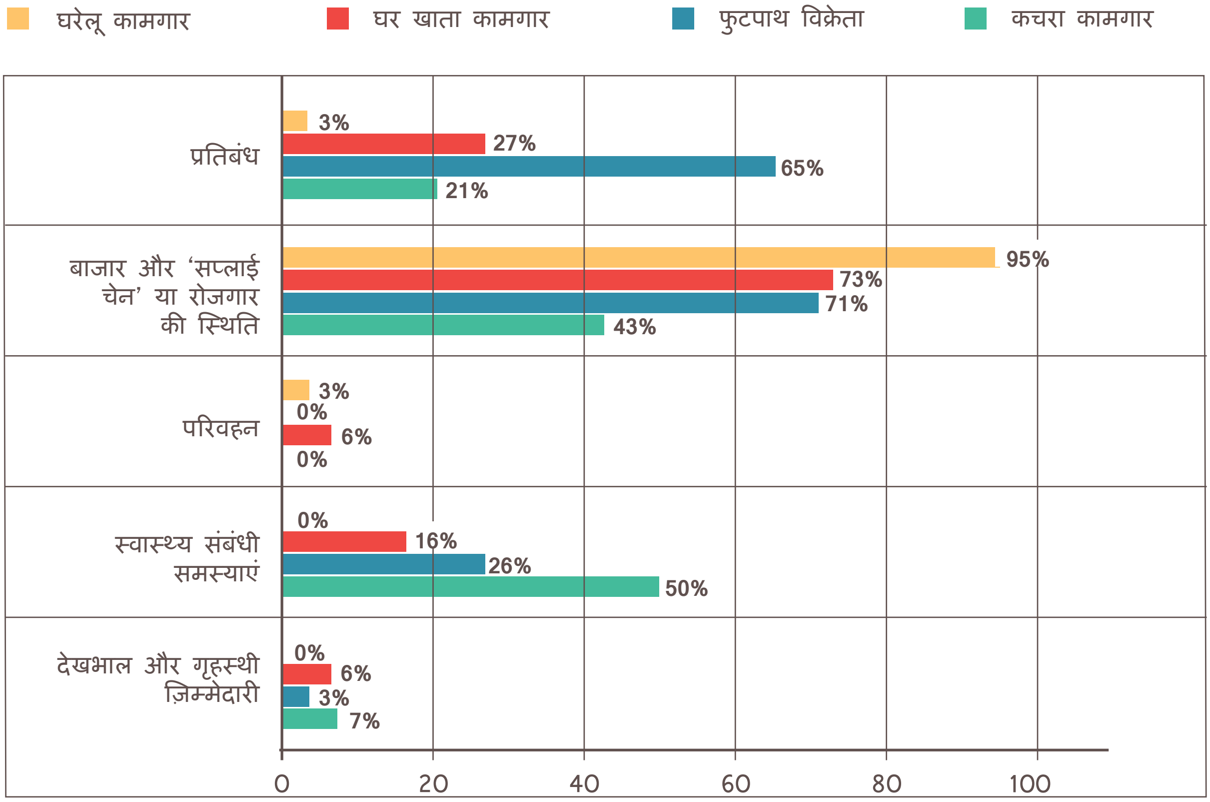

*उत्तरदाता काम न करने के एक से अधिक कारणों का चयन कर सकते हैं.

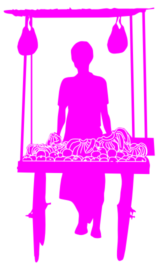

"कोविड-19 के कारण हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा है. हम बिक्री के लिए जो सब्जियां लेते हैं, ग्राहक नहीं होने के कारण वो बिक ही नहीं पाती हैं . पहले सभी सब्जियां बाजार में आसानी से बिक जाती थीं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान, एक जगह से दूसरी जगह जाकर बेचने के बाद भी मैं ठीक से कमाई नहीं कर पाती हूं. वायरस के डर से लोग हमसे सब्जियां नहीं खरीद रहे और वह रखे-रखे खराब हो जाती हैं"

- फुटपाथ विक्रेता (महिला)

वसंत कुंज, दिल्ली की शनिवार साप्ताहिक बाजार में विक्रेता और ग्राहक. फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी

कमाई पर असर

लॉकडाउन से पहले तक, असंगठित श्रम के चार क्षेत्रों के बीच औसत दैनिक आय में बड़ी असमानताएं थी. घरेलू कामगारों और घर खाता कामगारों की तुलना में, फुटपाथ विक्रेता और कचरा कामगार कहीं अधिक कमाई करते थे. हालांकि, अप्रैल में लॉकडाउन लागू होने के बाद सभी क्षेत्रों के कामगारों की आय में अचानक भारी गिरावट आई. जून में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद कामगार फिर कुछ काम शुरू कर पाए हैं, लेकिन उनकी कमाई में बड़ी गिरावट आई है. आय के मामले में चार में से एक भी क्षेत्र अब तक लॉकडाउन-पूर्व स्तर तक नहीं पहुँचा है.

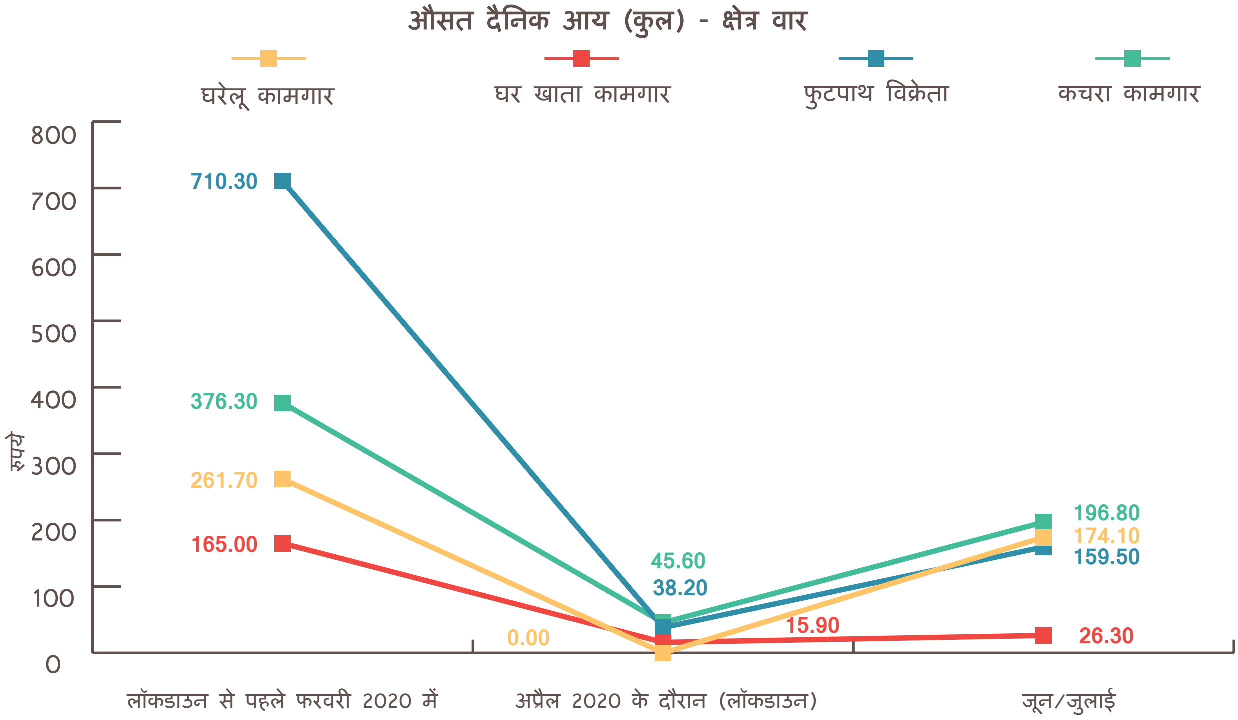

उत्तरदाता जिनकी आय शून्य है, अप्रैल और जून/जुलाई
घरेलू कामगार: • अप्रैल के दौरान 100% घरेलू कामगार, शून्य कमाई कर रहे थे. • जुलाई में, वे लॉकडाउन पूर्व के स्तर से 68% कमा रहे थे. 71% कामगार अभी भी शून्य कमाई पर थे.
घर खाता कामगार: • अप्रैल के दौरान घर खाता कामगार, लॉकडाउन पूर्व के स्तर से केवल 10% कमा रहे थे. 72% की कमाई शून्य थी. • जुलाई में वे लॉकडाउन पूर्व के स्तर से केवल 16% कमा रहे थे. 76% की कमाई शून्य थी.
फुटपाथ विक्रेता: • अप्रैल के दौरान फुटपाथ विक्रेता, लॉकडाउन पूर्व के स्तर से केवल 5% कमा रहे थे. 92% की कमाई शून्य थी. • जुलाई में वे लॉकडाउन पूर्व के स्तर से केवल 22% कमा रहे थे. 60% की कमाई शून्य थी.
कचरा कामगार: • अप्रैल के दौरान कचरा कामगार, लॉकडाउन पूर्व के स्तर से केवल 12% कमा रहे थे. 75% की कमाई शून्य थी. • जुलाई में वे लॉकडाउन पूर्व के स्तर से 52% कमा रहे थे. 24% की कमाई शून्य थी.

कामगारों की आय में आई कमी का कारण यह था कि पहले वे प्रति सप्ताह जितने दिन काम किया करते थे, लॉकडाउन के बाद उतने दिन नहीं कर पा रहे थे. अप्रैल में सभी चार क्षेत्रों के कामगारों को या तो कोई काम नहीं मिला या वे हफ़्ते में अधिकतम एक दिन काम कर पा रहे थे. जून तक घरेलू कामगार, जो लॉकडाउन से पहले प्रति सप्ताह औसतन छह दिन काम किया करते थे, केवल 2-3 दिन ही काम कर पा रहे थे. फुटपाथ विक्रेता और कचरा कामगारों को सप्ताह में केवल 3-4 दिन ही काम मिल रहा था. घर खाता कामगारों को एक बार फिर सबसे ज़्यादा मुसीबत उठानी पड़ी, जिनमें अधिकतर को एक दिन का काम भी नहीं मिल रहा था. कुल मिलाकर, कार्य क्षमता और कमाई पर यह अध्ययन, सभी क्षेत्रों की धीमी और मुश्किल रिकवरी की तस्वीर प्रस्तुत करता है.

एक सामान्य सप्ताह में औसत कार्यशील दिन

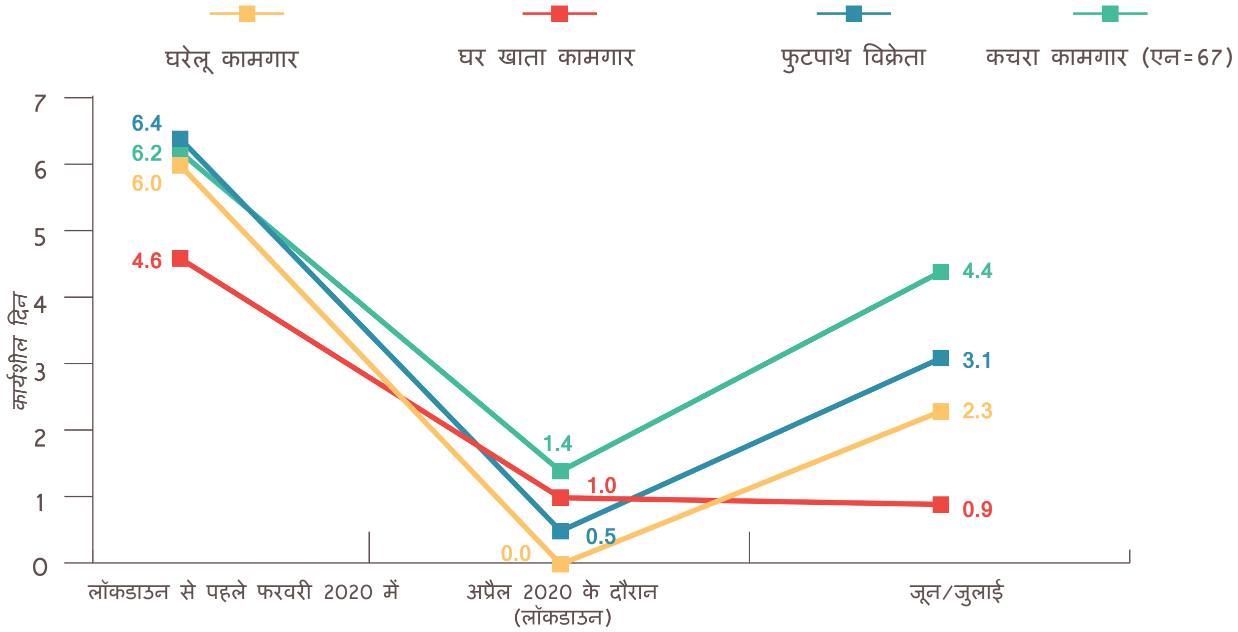

"मुझे एक दिन में एक ही घर में जाने की अनुमति है. अगर मैं रविवार को एक घर जाती हूं, तो फिर उसी दिन मैं दूसरे घर नहीं जा सकती. इसलिए, मैं एक दिन का गैप लेती हूं और फिर अगले घर में जाती हूं. इस कारण, वे हमें पूरा वेतन नहीं देते, वे वेतन काट लेते हैं और प्रति दिन के हिसाब से वेतन देते हैं."

- घरेलू कामगार (महिला)

"लॉकडाउन के दौरान किसी को भी बाहर जाने और कचरा इकट्ठा करने की अनुमति नहीं थी. कबाड़ की सभी दुकानें बंद थी. जिनके पैसे बकाया थे, वे जाकर पैसे ले सकते थे, लेकिन रद्दी डीलरों ने लॉकडाउन के दौरान दरों को कम कर दिया. जिसको मैं 5 रुपये प्रति किलो में बेचती, वह मुझे 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचना पड़ा"

- कचरा कामगार (महिला)

"दुकानें खुल गई हैं और विक्रेताओं ने भी काम शुरू कर दिया है, लेकिन काम केवल 25% ही बचा है. घर पर बैठने के बजाय कुछ काम करना बेहतर है, इसलिए लोग काम पर जा रहे हैं. डर सिर्फ इतना है कि वे वायरस के संपर्क में न आ जाएं, वे बताते हैं कि वे सावधानी बरतते हैं, लोगों से बहुत दूर खड़े होते हैं और लगातार सफाई करते हैं."

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

कोविड-19 और लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण कामगारों के लिए काम के अवसर बहुत कम हो गए. उनकी आय में भी भारी गिरावट आई. इस कारण कामगार अपने और अपने परिवार के भरण पोषण जैसी मूलभूत ज़रूरतें भी नहीं पूरा कर पा रहे थे.

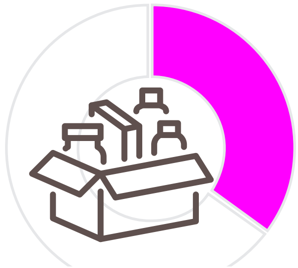

35% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें कई बार भूखा रहना पड़ा.

आधे से अधिक कचरा कामगारों ने बताया कि सर्वे से पिछले महीनों में, उन्हें कभी ना कभी खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा. 57% कामगारों ने बताया कि उनके परिवार में वयस्कों को भूखा रहना पड़ा और 10% कामगारों के परिवारों ने लगातार इस स्थिति का सामना किया. इसके अलावा अन्य तीन क्षेत्रों के कामगारों में से लगभग 25 से 30% को कई बार भूखा रहना पड़ा.

40% से अधिक घरेलू और कचरा कामगार परिवार, जिनमें बच्चें हैं, उन्हें भी कई बार भूखा रहना पड़ा और उन्हें अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने में भी बहुत कठिनाई आई.

अधिक संभावना यही है कि यह आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं. भूख को हीन भावना से देखे जाने के कारण, सम्भव है कि मज़दूरों ने अपनी आपबीती को कम करके बताया हो. कई मज़दूरों ने सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन की अपर्याप्तता गिनाई. इसके अलावा मज़दूरों ने बताया कि किस प्रकार भोजन तक पहुंचने में उन्हें अनिश्चितता और अपमान की भयावहता का सामना करना पड़ा, खासकर लॉकडाउन के महीनों में, जब वे काम करने में सक्षम नहीं थे.

“हम रात को बिना खाना खाए सोते हैं. कभी-कभी दिन में एक बार ही खाना खा पाते हैं.”

- कचरा कामगार (पुरुष)

“कभी-कभी पड़ोस के स्कूल में वे {सरकार} पका हुआ भोजन देते थे, इसलिए हम सभी लोग जाते थे. कुछ दिनों के लिए खाना ठीक था, लेकिन उसके बाद दोनों बच्चों और हमारे लिए उस खाने को खाना मुश्किल था, फिर भी हमने उसे खाया. मेरे परिवार में एक बच्चे सहित कुल पाँच लोग हैं. हम बच्चे को दूध नहीं पिला सकते तो हम खुद के लिए खाना कहाँ से लायें. एक बच्चा आधा लीटर दूध पर ज़िंदा नहीं रह सकता.”

- घरेलू कामगार (महिला)

“जिन लोगों की दुकानें नहीं खुली हैं, उनकी स्थिति भयानक है, पूरी तरह से दिवालिया. मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने चार दिन से खाना नहीं खाया है. कुछ लोग खाने के लिए मंदिरों में जाते हैं और उनके पास अपने गाँव वापस जाने के लिए पैसे नहीं हैं”

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

देखभाल की जिम्मेदारियों पर प्रभाव व घरेलू तनाव

कोविड-19 संकट और उसके बाद हुए लॉकडाउन ने असंगठित कामगारों के परिवारों के लिए गहरा तनाव पैदा किया है. कई कामगारों ने बताया कि आय के घटने के कारण, परिवार की देखभाल जैसी जिम्मेदारियों से निपटने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. कोविड पूर्व के महीनों की तुलना में 97% कामगारों की घरेलू आय में कमी आई है. 54% कामगारों की घरेलू आय पिछले महीनों में शून्य दर्ज की गई. इन सब दबावों के संदर्भ में और लॉकडाउन के दौरान बच्चों और परिवार के अन्य सभी सदस्यों के एक साथ घर पर होने के कारण, बच्चों की देखभाल के साथ-साथ खाना पकाने, सफाई, बीमार और बुजुर्गों की देखभाल जैसी अन्य घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है. देखभाल की सभी श्रेणियों में, महिलाओं पर असमान रूप से अधिक बोझ बढ़ा है.

उत्तरदाता %, जिन्होंने देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों में वृद्धि की सूचना दी. (लिंग वार)

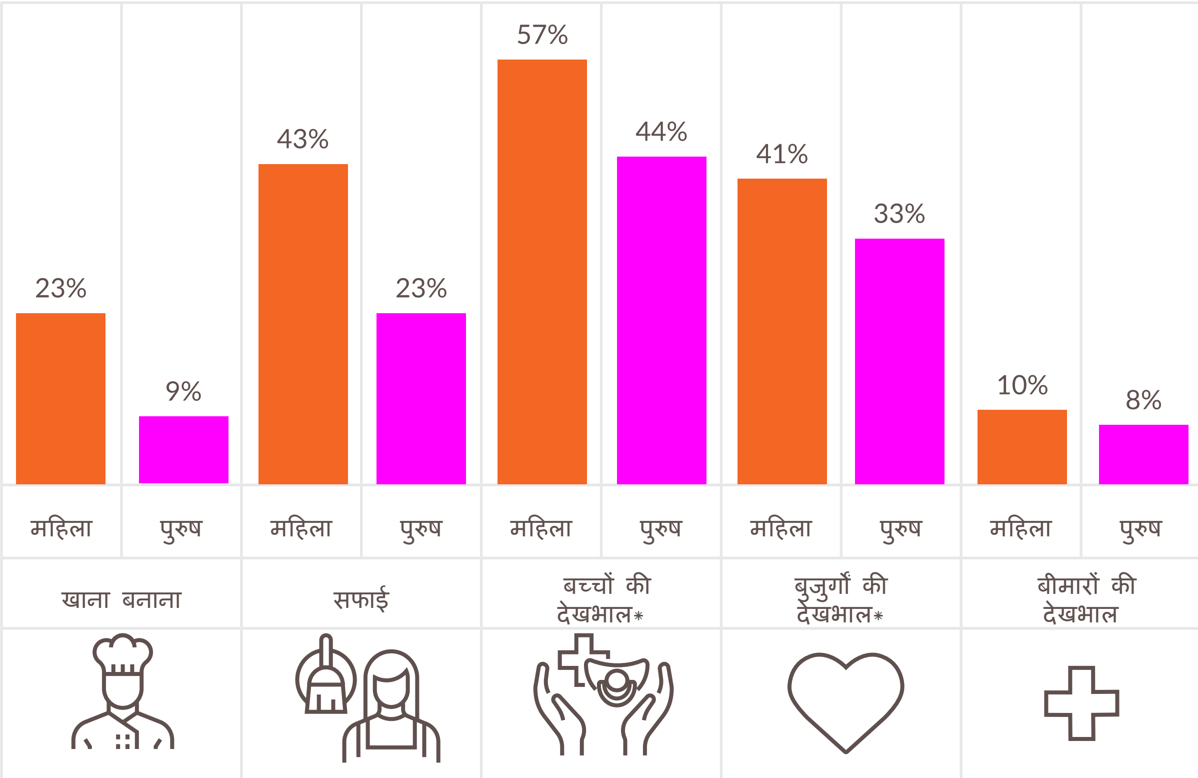

*आश्रितों वाले घरों के आंकड़े बताए गए हैं.

"मैं काम करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन तीनों बच्चे अप्रैल से घर पर ही हैं और इसलिए घर का काम बढ़ गया है. उनके लिए पढाई भी मुश्किल हो गई है, क्योंकि क्लास भी ऑनलाइन फ़ोन पर हो रही है. हमारे पास एक मोबाइल फोन भी नहीं था, इसलिए मुझे एक फ़ोन खरीदना पड़ा. इसके लिए पैसे बचाना बहुत मुश्किल था."

- कचरा कामगार (महिला)

कामगारों का स्वास्थ्य और सुरक्षा

असंगठित कामगारों पर यह लांछन लगाया जाता है कि वे बीमारी फैलाने के माध्यम होते हैं. इसके बावजूद सर्वेक्षण में केवल 6% कामगारों ने अपने घरों में कोविड-19 के लक्षणों की सूचना दी. इसमें सबसे अधिक संख्या घरेलू कामगारों की है, जिनमें से 15% ने अपने घरों में कोविड-19 के लक्षण महसूस किये. सम्भावित रूप से यह दर्शाता है कि घरेलू कामगार अधिकतर घर के अंदर रहकर काम करते हैं, जहां विशेषकर लॉकडाउन के दौरान, उन्हें दूसरे लोगों के नज़दीक रहकर काम करना होता है और इस कारण उन्हें अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है.

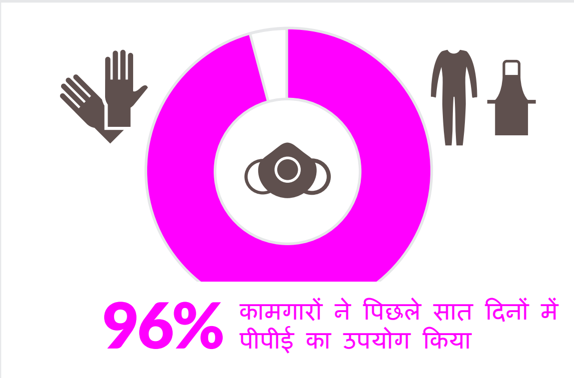

कामगारों के एक विशाल बहुमत (96%) ने बताया कि सर्वे के सात दिन पहले से वे मास्क और दस्तानों जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कर रहे थे. व्यापक रूप से उपयोग करने के अलावा, असंगठित कामगार अक्सर स्वयं ही पीपीई खरीद रहे थे. 59% कचरा कामगारों और 50% फुटपाथ विक्रेताओं ने बताया कि उन्होंने अपने खुद के पैसों से पीपीई ख़रीदे. 10% घरेलू कामगार और 5% कचरा कामगार (कुल कामगारों का केवल 3.7%) को नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा पीपीई मुहैया कराये गए.

“बेशक, पैसे को लेकर मुश्किलें हैं. कभी-कभी लगता है कि आपके बच्चों की पढ़ाई होगी भी या नहीं...क्या उन्हें कभी स्कूल जाने का मौका मिलेगा? इस बीमारी को लेकर हमारे मन में बहुत डर है. जनता के मन में बहुत डर है, हम सोचते हैं कि यह सब आख़िर कब ख़त्म होगा.”

- घर खाता कामगार (महिला)

“जब हम काम पर जाते हैं, तो मास्क और दस्ताने लगाते हैं. जब हम घर वापस आते हैं, तो सफाई और स्नान करते हैं. घर के अंदर जाने से पहले अपने हाथ धोते हैं और अपने कपड़े बाहर ही उतार देते हैं”

- कचरा कामगार (पुरुष)

“हाल में, दिल्ली सरकार ने साप्ताहिक बाजार खोल दिए हैं, इसको लेकर हम ‘हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी’ ने एक योजना बनाई – कितनी दूरी पर दुकानें लगाई जाएंगी, हमने उन जगहों पर निशान लगाए और फेरीवालों को वहां बैठने के लिए कहा. हम चाहते हैं कि यह काम सुचारू रूप से चले, इसलिए हम बाजारों में गए, सैनिटाइज़र वितरित किए, लोगों को कोविड, सामाजिक दूरी बनाए रखने और पैसे संभालते समय जो सावधानी ज़रूरी हैं, उनके बारे में जागरूक किया. हमने उनसे दस्ताने पहनने को कहा, लेकिन दस्तानों को भी आप कितनी बार पहन और उतार सकते हैं? दस्तानों की कीमत 100 रुपये है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं.”

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

राहत के उपाय

इस अध्ययन द्वारा कवर किए गए चार क्षेत्रों में से किसी भी क्षेत्र में सरकार द्वारा असंगठित कामगारों के लिए कोई विशेष राहत या नकद अनुदान योजना शुरू नहीं की गई. जिन महिलाओं के पास 'जन धन वित्तीय समावेशन कार्यक्रम' के तहत बैंक खाते थे, उन्हें अप्रैल, मई और जून के महीनों में 500 रु प्रति माह मिलने थे. सर्वेक्षण के नतीजे इस बात को दर्शाते हैं कि घर खाता और घरेलू कामगार, इन दो श्रेणी की महिलाओं को अनुदान मिलने की सम्भावना अधिक रही. ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये महिलाएं पहले से ही जन धन खातों से जुड़ी थीं.

इस पर भी सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश महिला कामगारों को अभी भी सरकार से नकद सहायता प्राप्त नहीं हुई है. जिन्हें सहायता मिली भी, उसमें भी 'सेवा' संगठन का बड़ा हाथ रहा. 'सेवा', महिला असंगठित कामगारों का संगठन है. इन्हीं के द्वारा सर्वे में घर खाता और घरेलू कामगारों का सैम्पल मुहैया कराया गया था. 'सेवा' ने ऐतिहासिक रूप से महिला कामगार सदस्यों को सरकारी योजनाओं और बैंक खातों से जोड़ने का काम किया है.

उत्तरदाता % जिन्हें सरकार द्वारा नकद या खाद्य सहायता प्राप्त हुई. (क्षेत्र वार)

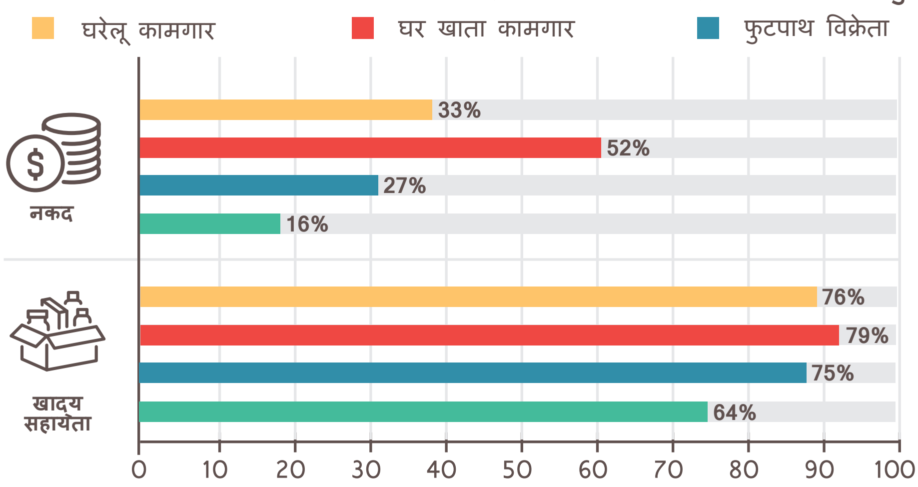

32% उत्तरदाताओं ने कोविड-19 के सन्दर्भ में सरकार द्वारा नकद अनुदान प्राप्त होने की सूचना दी.

73% उत्तरदाताओं ने कोविड-19 के सन्दर्भ में सरकार द्वारा खाद्य सहायता प्राप्त होने की सूचना दी.

सभी चार क्षेत्रों के लगभग तीन-चौथाई कामगारों ने बताया कि उन्हें सरकार से खाद्य सहायता मिली है. लॉकडाउन की घोषणा के बाद मज़दूरों ने शहर से पलायन करना शुरू कर दिया था. इसके बाद केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों ने मुफ्त या रियायती दरों पर राशन वितरित किए जाने की घोषणा की और कई स्थानों पर पके हुए भोजन के वितरण के प्रावधान भी किए. दिल्ली की राज्य सरकार ने विशेष रूप से 'ई-कूपन-योजना' शुरू की. इस योजना के तहत राशन पाने के लिए लोकल राशन कार्ड होने की शर्त को समाप्त कर दिया गया. दिल्ली में असंगठित कामगारों की विशाल संख्या प्रवासी है और उनके पास लोकल राशन कार्ड[2] ना होने के कारण उन्हें खाद्य सहायता मिलने में दिक़्क़तें आ रही थीं. 'ई-कूपन-योजना' ने इन दिक़्क़तों से निजात दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सरकार से नकद अनुदान प्राप्त न होने के कारण

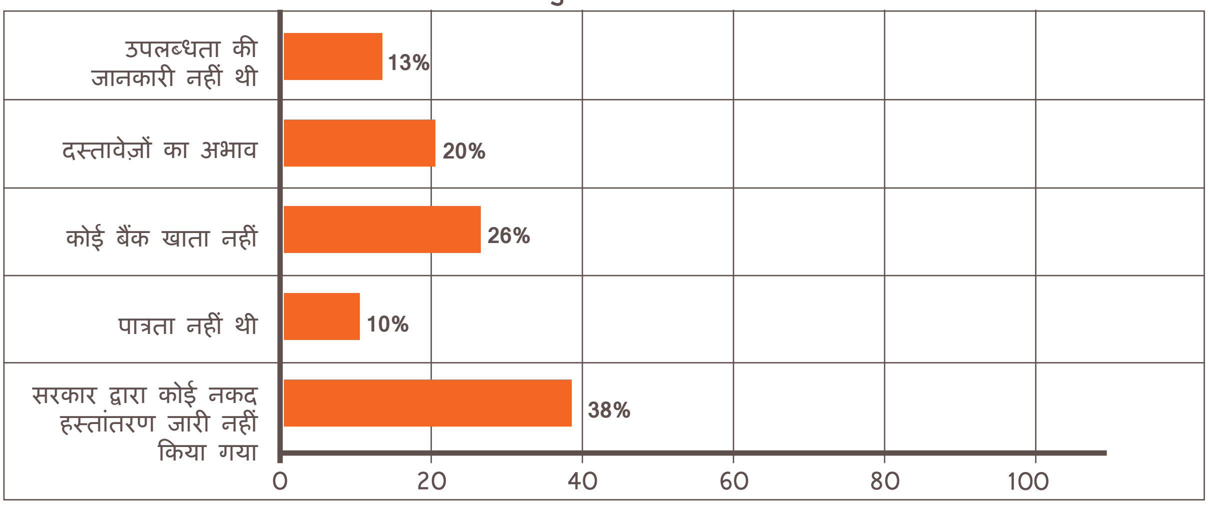

[2] राशन कार्ड, भारत में राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है. यह उन परिवारों को मिलता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सब्सिडी वाला अनाज खरीदने के लिए पात्र हैं.

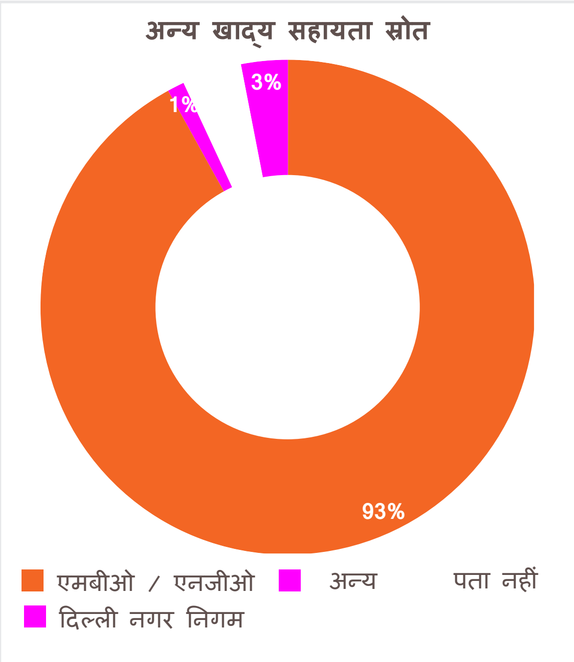

असंगठित कामगारों के लिए खाद्य सहायता के अधिक महत्वपूर्ण स्रोत, उनके अपने सदस्यता-आधारित संगठन (एमबीओ) या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) थे. कामगारों के एक भारी बहुमत (93%) ने बताया कि उन्होंने अपने 'एमबीओ' या किसी 'एनजीओ' से खाद्य सहायता प्राप्त की. यह प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने में 'सिविल सोसायटी' द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है. प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करने के साथ-साथ, 'सिविल सोसायटी' ने समानांतर रूप से कामगारों में उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाकर और दस्तावेज भरने में उनकी मदद कर उन्हें सरकारी सहायता से जोड़ने का प्रयास भी किया. कामगार संगठनों और गैर-लाभकारी संगठनों ने पहली पंक्ति के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य किया, ताकि इस संकट की घड़ी में असंगठित कामगारों की मदद की जा सके और उन तक सरकारी सहायता पहुँचाई जा सके.

"अन्य बहनें {'सेवा' की सदस्य} बड़ी मुश्किल से गुजर-बसर कर रही हैं...जो भी बचत की थी, वह ख़त्म हो गई है. बड़ी मुश्किल से वे कुछ बचत करने में कामयाब हुई थीं. उन्होंने उधार लिया है और कई बहनों के लिए हमने 'सेवा' के माध्यम से राशन वितरित किया है. हमने घर-घर जाकर देखा कि वे किस कठिनाई का सामना कर रही हैं; उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था."

- घर खाता कामगार, 'सेवा' (महिला)

"हमें राशन नहीं मिला क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड नहीं था. हमें राशन के लिए दिए जा रहे ई-कूपन की जानकारी भी नहीं थी., आधार कार्ड पर सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे राशन के लिए बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे. लगभग तीन महीने का राशन वितरित किया गया था और वो भी हमें नहीं मिला. हमारा सात सदस्यों का परिवार है. इस कठिन समय में जो सहायता दी जाती है वह भी हमारे लिए सुलभ नहीं है."

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

"हम तब काम नहीं कर रहे थे {लॉकडाउन के दौरान}, इसलिए हमने जो भी बचत की थी, उसी का इस्तेमाल किया. लेकिन वह केवल पेट भरने के लिए ही काफ़ी था, इसलिए हमने किराये या बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया. इसके बावजूद कई बार खाना ख़त्म हो गया, इसलिए हमें एमबीओ से मदद के लिए कहना पड़ा."

- कचरा कामगार (महिला)

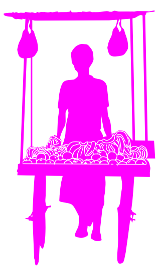

"हमारे पास राशन कार्ड नहीं है. मैंने ई-कूपन के लिए भी आवेदन किया लेकिन कुछ नहीं मिला. मेरे घर से थोड़ी दूर पर पके हुए भोजन का वितरण हुआ करता था, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि कभी-कभी मुझे बिना भोजन मिले ही लौटना पड़ता था."

- फुटपाथ विक्रेता (महिला)

संकट से निपटने के उपाय

काम की कमी से होने वाले वित्तीय तनाव ने सभी चार क्षेत्रों के अधिकांश कामगारों को पैसा उधार लेने के लिए मजबूर किया. कामगारों के एक बड़े हिस्से (56%) ने वित्तीय संस्थानों से उधार लिया, लगभग 29% कामगारों ने बताया कि उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों से वित्तीय मदद मांगी. यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँचने में आने वाली बाधाओं के कारण, कामगार ऋण देने वाले स्थानीय अनौपचारिक संस्थानों और साहूकारों के चंगुल में फंस जाने पर मजबूर हैं. इस तरह के ऋण आमतौर पर बहुत अधिक ब्याज दरों पर दिए जाते हैं और ये ऋण कामगारों को दीर्घकालिक शोषणकारी रिश्तों में फंसा देते हैं. बहुतायत में फुटपाथ विक्रेताओं और कचरा कामगारों ने बताया कि इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने अपनी बचत का इस्तेमाल किया. घर खाता कामगारों और घरेलू कामगारों के पास बचत पर निर्भर रहने का विकल्प नहीं था, संभवतः इसलिए कि, इन क्षेत्रों में महिला कामगारों के पास मुश्किल समय के लिए बचत के पैसे थे ही नहीं. कई घरेलू कामगारों और घर खाता कामगारों ने इस संकट के दौरान रोज़ी-रोटी का जुगाड़ करने के लिए दूसरे रोज़गारों को भी शुरू किया.

संकट से निपटने के उपाय

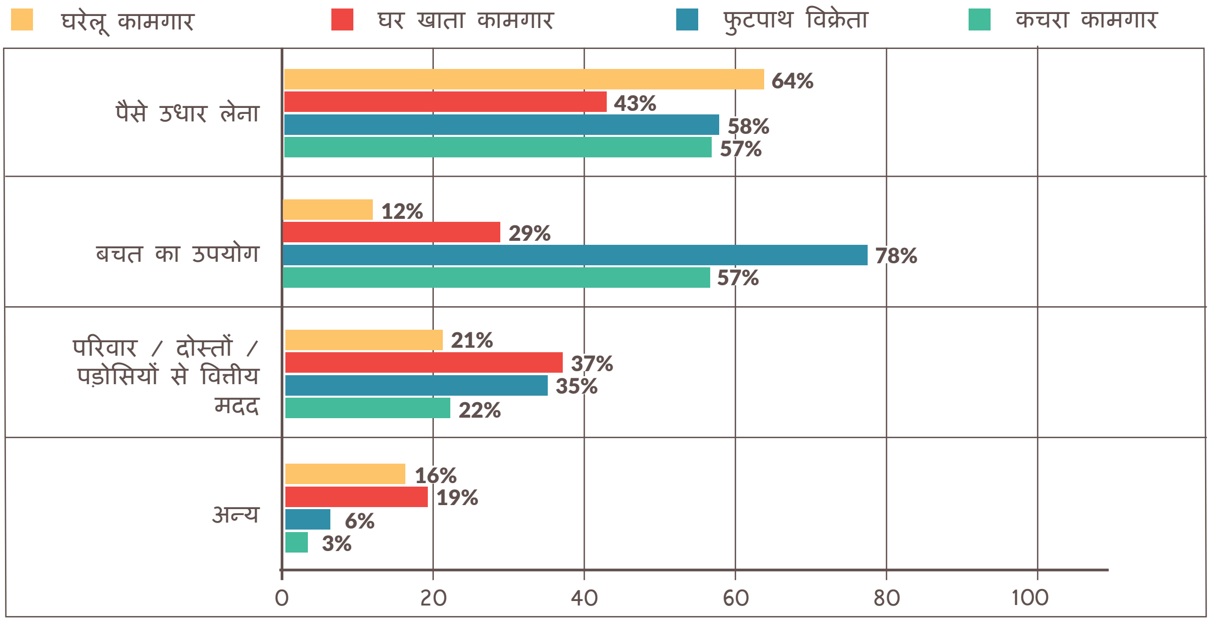

"हां, लोगों ने एक-दूसरे की मदद की है...हमें सरकार से उतनी मदद नहीं मिली, जितनी एक-दूसरे से मिली है...ऐसे बहुत से घर हैं जो बहुत मुश्किल से काम चला रहे हैं"

- घरेलू कामगार (महिला)

"पहले, मेरे पति घरों से कूड़ा उठाते थे और मैं उसको घर पर छांटती थी. अब मैं कचरे की छंटाई करने के साथ-साथ एक घर में घरेलू कामगार के तौर पर काम करती हूँ. मेरे पति ने भी सब्ज़ी बेचने के लिए एक ठेला लगा लिया है"

- कचरा कामगार (महिला)

"साहूकार हमें रोज़ परेशान करते हैं, हमें धमकी देते हैं कि या तो हम उन्हें ब्याज दें या ऋण की रक़म लौटा दें. मुझे अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के पास रहना पड़ा क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था. कमरे का मालिक भी किराये के लिए परेशान करता है. मुझे बताओ कि हम गरीब लोग क्या करेंगे जिन्होंने पिछले तीन महीनों में कुछ भी नहीं कमाया है? काम भी पहले की तरह नहीं है. मैं कब तक रिश्तेदारों के साथ रहूंगा?"

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

शीर्ष बाएं से क्लॉकवाइज़: दिल्ली, भारत में, घरेलू कामगार, घर खाता कामगार, कचरा कामगार, फुटपाथ विक्रेता. फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी

कचरा कामगार

दिल्ली में कचरा कामगार, 'नगरपालिका ठोस कूड़ा प्रबंधन' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे घर-घर जाकर कूड़ा इकट्ठा करने और प्राथमिक और दूसरे दर्जे की छंटाई करने से लेकर कूड़े को 'डम्पसाइट' में निपटाने का काम करते हैं. मार्च में सख्त लॉकडाउन प्रतिबंधों के बाद अधिकांश कूड़ा बीनने वालों का काम बंद हो गया. जून में अनलॉक दिशा-निर्देशों के लागू होने के बाद से पुरुष काफी हद तक फिर से काम शुरू करने में सफल रहे हैं, लेकिन अधिकतर कचरा कामगार महिलाएं अभी भी काम शुरू नहीं कर पाई हैं. इसके कारण उनकी कमाई में भारी गिरावट आई है. इसका सम्भावित कारण यह है कि दिल्ली में ज़्यादातर कचरा कामगार महिलाएं या तो घर में छंटाई का काम करती हैं या छोटे गोदामों में मजदूरी का काम करती हैं. लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण ये गोदाम या तो खुल नहीं पाए हैं या रद्दी सामान की मात्रा अभी तक लॉकडाउन पूर्व के स्तर तक नहीं पहुँची है, जिसके कारण 'रिसाइकिलर्स' और 'स्क्रैप डीलर्स' पहले की तरह, ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं. इस कारण कचरा कामगार महिलाओं के काम की मांग कम हो गई है. कमाई में रिकवरी भी धीमी और असमान है. लॉकडाउन पूर्व के स्तर से तुलना करने पर, पुरुष रोजाना की औसत कमाई का लगभग 70% कमा रहे हैं, वहीं महिलाएं जितना पहले कमा रही थी, उसके केवल एक चौथाई के आसपास ही कमा पा रही हैं. इसके अलावा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रति सप्ताह बहुत कम दिनों के लिए काम मिल रहा है.

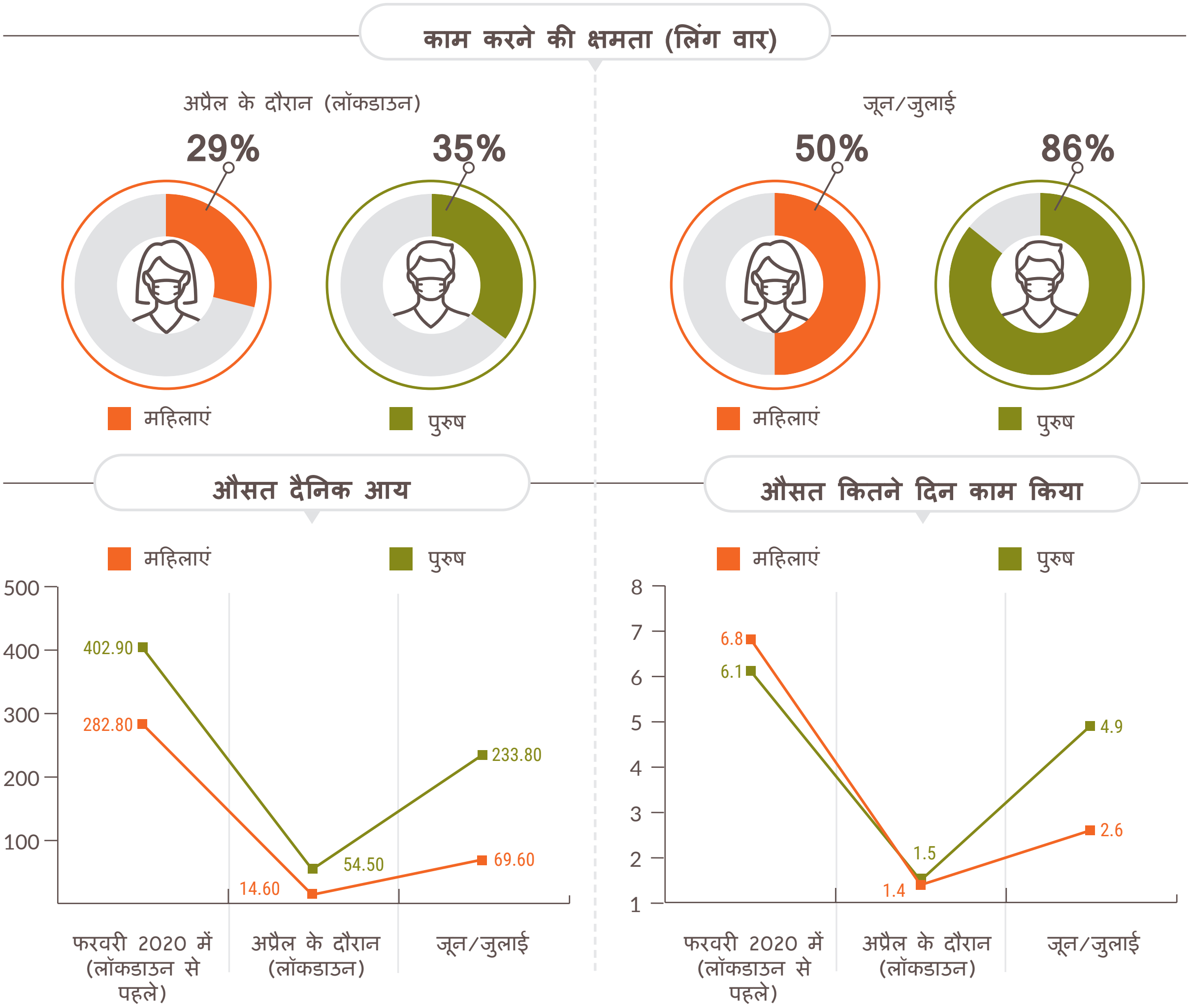

बाएं से दाएं: रीसाइक्लिंग के लिए कांच की बोतलें छांटती हुई एक महिला कामगार. फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी ; दिल्ली में घर का कचरा इकट्ठा करता हुआ एक पुरुष कामगार. फोटो क्रेडिट: अवि मजीठिया

“काम सबसे बड़ी चुनौती है. लंबे समय तक, कोई भी काम पर वापस नहीं जा सका है. कॉलोनी के कई और लोगों की तरह, मेरे पति घरों से कूड़ा उठाते थे और मैं कूड़े को घर पर छांटती थी. बेचने से पहले कूड़े को दो बार छांटना पड़ता है, लेकिन अब हमें पहले की तरह ज्यादा कचरा नहीं मिलता और कचरे को बेचने से पहले जितना पैसा भी नहीं मिलता.”

- कचरा कामगार (महिला)

“रद्दी समान का रेट कम हो गया है, इसलिए कमाई भी कम हो गई है. पहले प्लास्टिक की ख़ाली बोतल 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकती थी. अब इसका रेट घटकर आधा रह गया है. पहले तो कूड़ा ही कम मिल रहा था, अब रेट भी कम हो गए हैं.”

- कचरा कामगार (पुरुष)

फुटपाथ विक्रेता

लॉकडाउन के दौरान, बाजारों के खुलने और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए थे. इस कारण फुटपाथों और सड़कों पर भोजन और दूसरे सामान की बिक्री बंद हो गई. यहां तक कि सब्जी और अन्य आवश्यक सामान बेचने वाले विक्रेताओं को बाहर निकलने पर पुलिस के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, और सड़कें खाली होने के कारण वे पहले की तरह ग्राहक भी नहीं ढूंढ पा रहे थे. अनलॉक दिशा-निर्देशों के लागू होने के बावजूद साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की अनुमति नहीं थी. फुटपाथ विक्रेताओं को दोबारा काम शुरू करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे पुलिस और प्रशासन द्वारा उत्पीड़न, भगा दिया जाना, और काम शुरू करने के लिए पूँजी की कमी. अध्ययन में पाया गया कि खाद्य और गैर-खाद्य विक्रेताओं, दोनों को समान रूप से काम और कमाई का नुकसान उठाना पड़ रहा था. लॉकडाउन से पहले असंगठित कामगारों में, पुरुष विक्रेताओं की कमाई उच्चतम थी. लॉकडाउन के बाद उनकी कमाई में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई. महिला विक्रेताओं की दैनिक औसत कमाई शुरुआत से ही कम थी और अब तो वे लॉकडाउन पूर्व से एक चौथाई भी नहीं कमा पा रही थीं. पुरुष और महिला विक्रेता दोनों लॉकडाउन से पहले, हफ़्ते में छह दिन काम करते थे और लॉकडाउन के बाद, हफ़्ते में केवल 2-3 दिन ही काम कर पा रहे थे.

काम करने की क्षमता (लिंग वार)

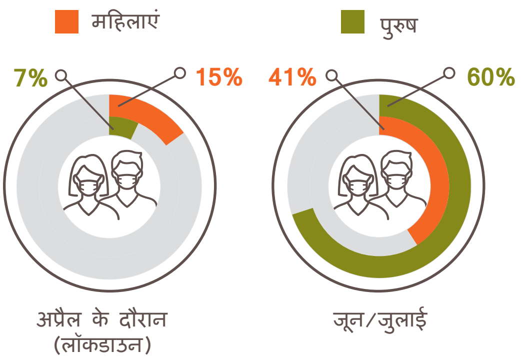

खाद्य/गैर-खाद्य वार काम करने की क्षमता

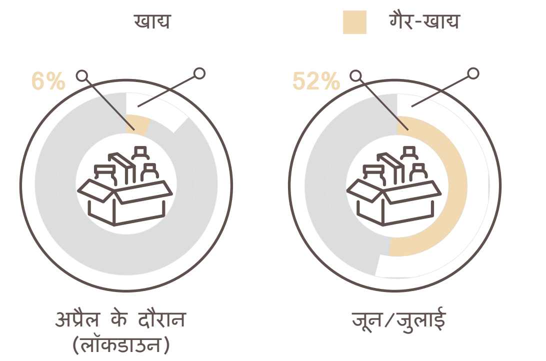

दैनकि कमाई (लगि वार)

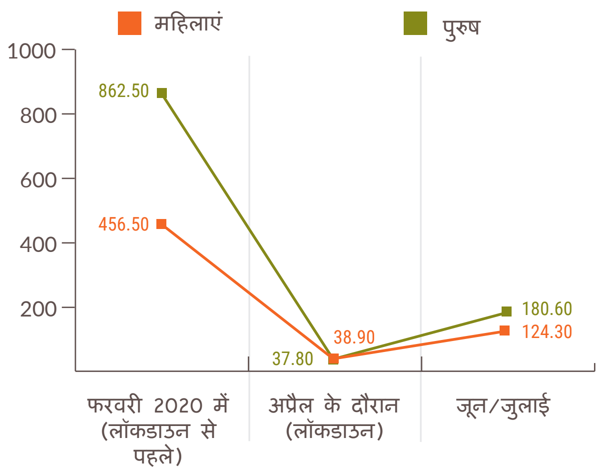

खाद्य/गैर-खाद्य वार दैनिक कमाई

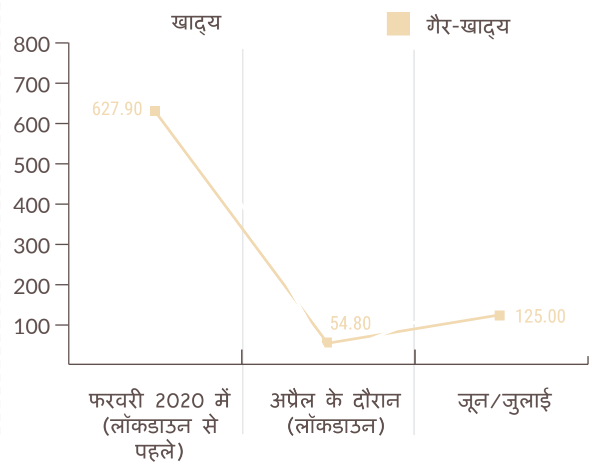

दिल्ली में एक विक्रेता ताज़ा बने हुए समोसों (एक प्रकार का फ़्राइड स्ट्रीट फ़ूड) को पकड़े हुए. फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी

औसत कार्यशील दिन (लिंग वार)

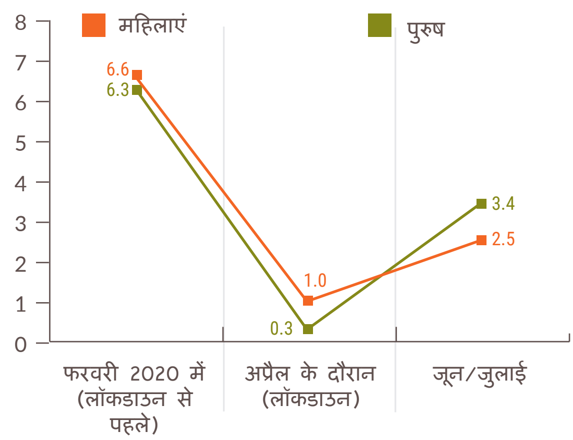

औसत कार्यशील दिन (खाद्य/ गैर-खाद्य वार)

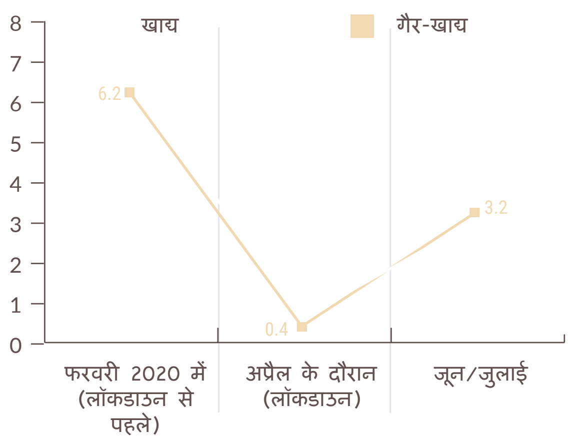

"मेरे घर के पास का बाज़ार, जहां मैं समान बेचता था, आज तक खुला नहीं है. मंदिर अभी भी बंद है, इसलिए वहां भी कोई दुकान नहीं खुली है. इस कारण मेरे जैसे सभी छोटे दुकानदार, जो अपनी रोज़ी-रोटी और परिवार की देखभाल के लिए रोज़मर्रा की कमाई पर निर्भर हैं, हम सबकी कमाई में भारी कमी आई है और जो भी थोड़ा बहुत हमने कमाया था, वह सब पिछले दो-तीन महीनों में ख़त्म हो गया है."

- फुटपाथ विक्रेता (पुरुष)

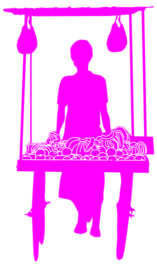

"कई समान बेचने वाले वापस नहीं आए हैं...हर 2-3 दिन में कुछ और लोग आ जाते हैं...उन्हें आजीविका कमाने की ज़रूरत है...इसलिए वे आ रहे हैं. लेकिन कोई काम भी नहीं है, वर्तमान में जो काम हो रहा है वह उस रेट पर नहीं है, जिस रेट पर पहले होता था."

- फुटपाथ विक्रेता (महिला)

घरेलू कामगार

दिल्ली में घरेलू काम से महिला कामगारों की बड़ी संख्या को रोज़गार मिलता है. वे अपने नियोक्ताओं और उनके परिवारों को सफाई, खाना पकाने और देखभाल जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं. कठोर लॉकडाउन का मतलब था कि घरेलू कामगारों को अब उनके कार्यस्थानों तक पहुंचने की अनुमति नहीं थी. तालाबंदी के दौरान, लगभग सभी घरेलू कामगारों का काम पूरी तरह से बंद हो गया और उनकी आय शून्य हो गई. सरकार द्वारा लोगों से अपील की गई कि इस दौरान वे घरेलू कामगारों को वेतन दें. इसके बावजूद केवल 25% घरेलू कामगारों को लॉकडाउन के महीनों में वेतन मिला. अनलॉक चरण शुरू होने के बाद भी कुछ ही कामगारों को काम मिला, जबकि अन्य लोग इस डर से कामगारों को घर में आने नही दे रहे थे कि कहीं वे 'रोग-वाहक' ना हों. कामगारों को कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जैसे कि पहले कामगार प्रति दिन 3-4 घरों में काम करते थे, अब उन्हें केवल एक घर में काम करने की इजाज़त थी. उन्हें खाना पकाने का काम नहीं मिल रहा था, जिसमें बेहतर कमाई होती थी. इसके अलावा पहले के मुक़ाबले हफ़्ते में कम दिनों के लिए काम पर बुलाया जा रहा था. इन सब कारणों से कमाई में भारी कमी आई.

काम करने की क्षमता

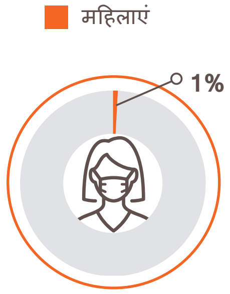

अप्रैल के दौरान (लॉकडाउन)

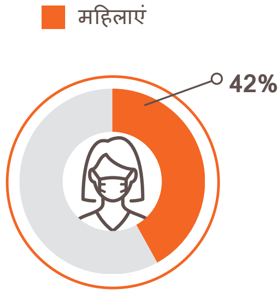

जून/जुलाई

औसत दैनिक आय

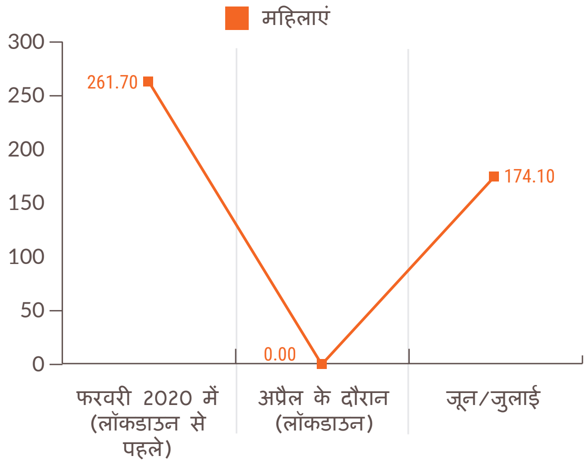

औसत कार्यशील दिन

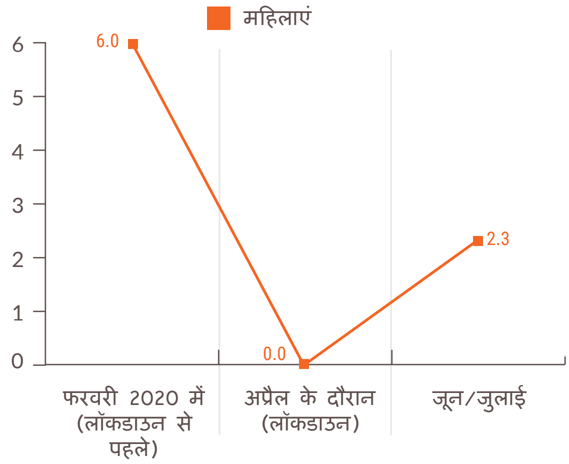

बाएं से दाएं: दिल्ली में एक घर में खाना पकाते हुए घरेलू कामगार. दिल्ली में एक घर की सफाई करते हुए घरेलू कामगार. फोटो क्रेडिट: अवि मजीठिया

"लॉकडाउन से पहले मैं चार घरों में काम करती थी और अब मैं किसी भी घर में नियमित रूप से काम नहीं करती. अब जब वे मुझे बुलाते हैं, मैं तभी जाती हूं. वे मुझे कभी-कभी ही बुलाते हैं, नियमित रूप से नहीं, शायद दो से तीन दिन या सप्ताह में एक बार."

- घरेलू कामगार (महिला)

"पहले जब मैं उनके घर जाती हूं, तो वे मुझे सैनिटाइज़र का उपयोग करने को कहते हैं और फिर हाथ धोने के बाद मैं घर की साफ़-सफ़ाई करती हूं. वे मुझसे हाथ धोने, नहाने और फिर कपड़े बदलकर काम शुरू करने को कहते हैं. हर किसी के घर में यही रूटीन है, लेकिन वे अभी भी मुझे हर दिन नहीं बुलाते."

- घरेलू कामगार (महिला)

घर खाता कामगार

दिल्ली में घर खाता कामगार, स्व-नियोजित या उपठेकेदार के रूप में विभिन्न धंधों में शामिल हैं. लॉकडाउन से पहले भी यह असंगठित रोजगार के सबसे अदृश्य और कम वेतन वाले क्षेत्रों में से एक था. लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में जब मास्क और अन्य पीपीई की मांग बढ़ी, तो घर खाता कामगारों को इनके लिए कुछ ऑर्डर मिले. बाद में जब मास्क के व्यावसायिक निर्माण में तेज़ी आई, तो काम एक बार फिर सूख गया. लॉकडाउन पूर्व भी घर खाता कामगारों की कमाई सबसे कम थी और लॉकडाउन के बाद तो इसे बड़ी क्षति पहुँची है. 'उपठेकेदार' कामगार, जिनका काम बड़ी वैश्विक और राष्ट्रीय 'सप्लाई चेन्स' पर निर्भर है, वे पूरी तरह से अपना काम खो चुके हैं और उनकी कमाई शून्य हो गई है. स्व-नियोजित कामगार और कर्मचारी, जो स्थानीय बाजारों पर अधिक निर्भर हैं, वे थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हैं. हालांकि, वे भी प्रति सप्ताह केवल एक दिन काम कर पा रहे हैं और उनकी कमाई भी बहुत कम है.

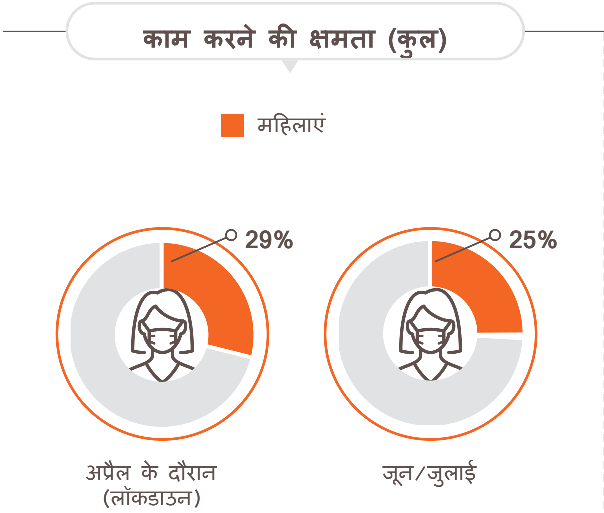

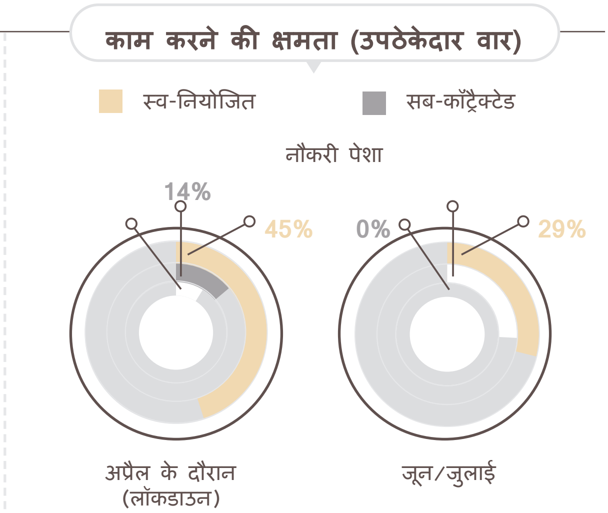

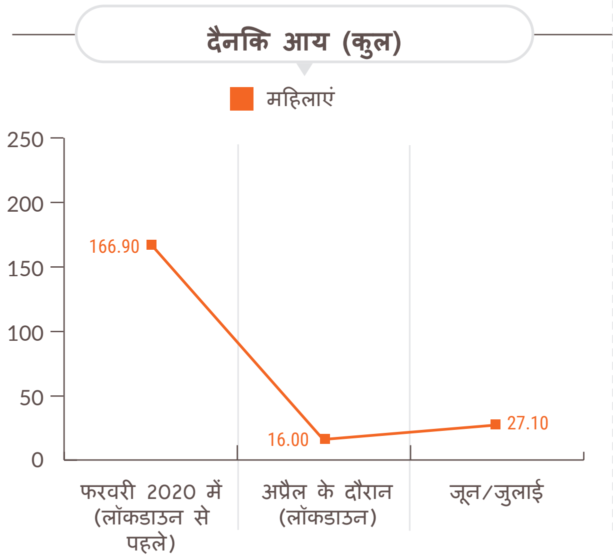

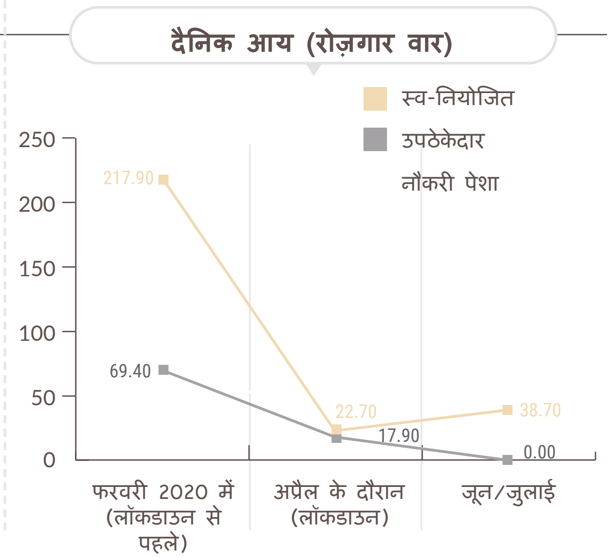

"मार्च में काम बंद कर दिया गया था...रुआब 'सेवा' में सारा काम ठप पड़ गया है. लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो काम आया था, वह हमारी बहनों {'सेवा' सदस्यों} के घरों में ही रह गया."

- घर खाता कामगार (महिला)

एक बच्चा देखते हुए, जब उसकी माँ (एक घर खाता कामगार) अपने घर के बाहर चप्पल की पट्टियाँ काट रही है.
फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी

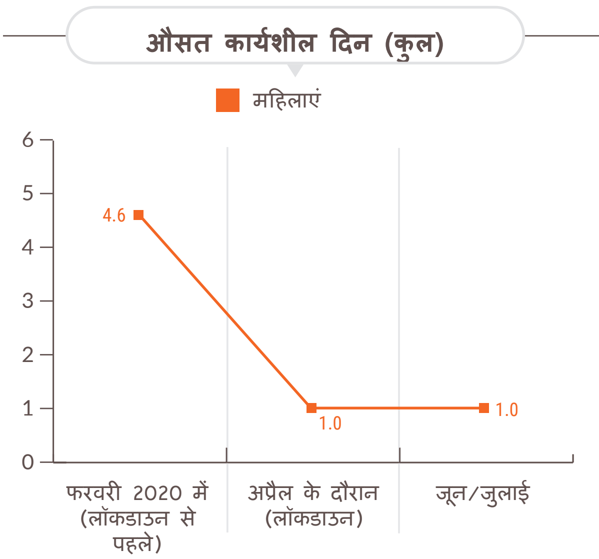

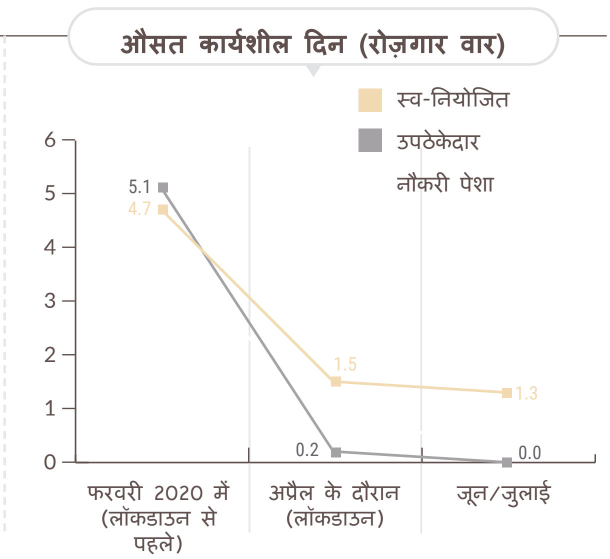

"लॉकडाउन से पहले थोड़ा बहुत काम मिलता था. हम हथकरघा बेडशीट बनाते थे, काम करते थे और उस कमाई से अपना गुजारा करते थे. लॉकडाउन के बाद हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला है, कुछ भी काम नहीं है."

- घर खाता कामगार (महिला)

रिकवरी का रास्ता

सभी क्षेत्रों के कामगार, लॉकडाउन के महीनों को उनके द्वारा गुज़ारे गए सबसे मुश्किल दिनों के रूप में याद करते हैं. वे बताते हैं कि इस महामारी में काम करने और कमाने की अक्षमता ने उन पर सबसे गहरा असर डाला. भविष्य में किस प्रकार रिकवरी की जाए, इस सवाल पर जो प्रतिक्रियाएं मिली, उनमें आजीविका को फिर से शुरू करने के मसले को, विभिन्न क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समर्थन मिला. इसमें बिना उत्पीड़न काम करने की आवश्यक अनुमति, अवसरों और पूंजी तक सुलभ पहुंच, दोनों शामिल हैं. ऐसा करने से वे दोबारा आजीविका कमाने में सक्षम हो सकेंगे.

संकट शुरू होने के बाद के महीनों में, कई असंगठित कामगार संगठनों और सहयोगियों ने रिकवरी के लिए एक नीतिगत रोडमैप तैयार किया. इस रोडमैप में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं लेकिन यह केवल इन तक सीमित नहीं है:

आजीविका के अवसरों को उपलब्ध कराना:

- यह सुनिश्चित करना कि आय सुरक्षा में कार्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा दोनों शामिल हों. असंगठित कामगार, जिन्होंने बड़े पैमाने पर आजीविका का नुकसान उठाया, कोविड अवधि में उन्हें आय की सुरक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता.
- आजीविका को फिर से शुरू करने में, असंगठित कामगारों की मदद करना – खुले बाज़ार और विक्रय स्थलों को अंकित करना, कूड़ा छांटने के लिए अलग स्थानों और सामुदायिक कार्यस्थलों की निशानदेही करना. कार्यस्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मज़दूर संगठनों की सहायता करना. कामगारों को सुलभ क्रेडिट मुहैया कराना.
- कामगारों के प्रति नियोक्ताओं की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना - नियोक्ताओं को घर खाता कामगारों के लिए 'सप्लाई चेन' राहत योगदान देने चाहिए, घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाए. इसके अलावा कामगारों को सुरक्षा उपकरण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान किए जाने चाहिए.

स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना:

- यह सुनिश्चित किया जाए कि घरों और अनौपचारिक कार्यस्थलों पर पानी और स्वच्छता सुविधाओं की सुलभ पहुंच हो, साथ ही सार्वजनिक स्थानों तक भी इनकी पहुंच बढ़ाई जाए.
- पानी प्राप्त करने के लिए असीमित स्थान प्रदान करें ताकि असंगठित कामगार अपने हाथों, कार्यस्थलों और उत्पादों को अक्सर धो सकें.
- कचरा कामगार आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और अपने काम के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करते हैं. इन कामगारों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और सैनिटाइज़र का प्रावधान सुनिश्चित करें. इसकी लागत का बोझ कामगारों पर नहीं पड़ना चाहिए.

दिल्ली में, सड़क किनारे की बाज़ार में फल विक्रेता. फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी

- असंगठित कामगारों के लिए स्वास्थ्य और बीमा योजनाओं को सुनिश्चित करें.
- व्यापार ढांचों को बनाने के तरीक़े में लचीलापन लाना ताकि सड़क विक्रेता शारीरिक दूरी बनाए रख सकें.
- अच्छी गुणवत्ता वाले क्वॉरंटीन केंद्रों और सामुदायिक परीक्षण केंद्रों तक पहुंच को सुलभ करना, जो निकट दूरी पर और सस्ते हों.

नुकसान न पहुँचाना:

- जैसा कि 'स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट', 2014 द्वारा शासनादेश किया गया है, यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सड़क विक्रेता फुटपाथ विक्रेता को निष्कासित नहीं किया जाए.
- पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कचरा कामगारों और फुटपाथ विक्रेताओं का उत्पीड़न बंद किया जाए.
- 'रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस' (RWA) द्वारा लागू किए जाने वाले ऐसे अन्यायपूर्ण नियमों और विनियमों को रोका जाए, जो घरेलू कामगारों के काम करने के अधिकार को सीमित करते हैं.

मान्यता और विनियमन

- घरों और अनौपचारिक स्थानों पर काम करने वाले सभी असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय श्रम कानूनों और नियमों के दायरे में लाएं, ताकि सभ्य काम और भुगतान के उनके अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके.
- सभी असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, विशेष रूप से बाल देखभाल और स्वास्थ्य बीमा तक पहुंच बढ़ाना - जागरूकता बढ़ाने, पंजीकरण कराने और योजनाओं तक पहुँच को आसने बनाने पर ज़ोर देना.
- प्रवासी कामगारों की पहचान करना और सरकारी राहत कार्यक्रमों और योजनाओं तक उनकी पहुँच आसान बनाना.

हमारे लिए, हमारे बिना कुछ भी नहीं:

- कामगारों के काम पर असर डालने वाले सभी निर्णयों में असंगठित कामगारों और उनके संगठनों को प्रमुख हितधारकों के रूप में शामिल करना.
- अंतिम सिरे तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी राहत और रिकवरी कार्यक्रमों में 'एमबीओ' और 'सिविल सोसायटी' को शामिल करना.

समावेशी नगर योजना और नीतियों के माध्यम से असंगठित कामगारों के लिए रहने और काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करना:

- शहर के असंगठित क्षेत्र में आजीविका को पहचान और सहायता मुहैया कराने के लिए 'लेबर-इंटेन्सिव' वृद्धि को बढ़ावा देना और सुरक्षित कार्यस्थलों तक कामगारों की पहुंच को सुलभ बनाना. सार्वजनिक स्थानों में बुनियादी सेवाएं प्रदान करना.
- असंगठित कामगारों के लिए शहर में उचित आवास की व्यवस्था करना और किराया भरने की मोहलत प्रदान करना.
- यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षित और गुणवत्ता वाले सार्वजनिक परिवहन तक कामगारों की आसान पहुंच हो सके.

शीर्ष बाएं से क्लॉकवाइज़: घरेलू कामगार, घर खाता कामगार, कचरा कामगार, फुटपाथ विक्रेता. फोटो क्रेडिट: रश्मि चौधरी

कोविड-19 संकट और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, वुमेन इन इन्फ़ॉर्मल एम्प्लॉयमेंट: ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गनायज़िंग (**WIEGO**) और 12 शहरों (अकरा, घाना; अहमदाबाद, भारत; बैंकॉक, थाईलैंड; डकार सेनेगल; डार एस सलाम, तंजानिया; दिल्ली, भारत; डरबन, दक्षिण अफ्रीका; लीमा, पेरु; मेक्सिको सिटी, मेक्सिको; न्यूयॉर्क शहर, यूएसए; प्लेवेन, बुल्गारिया; और तिरुप्पूर, भारत) में असंगठित कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले साझेदार संगठनों के बीच सहभागिता का नतीजा है. यह मिश्रित तरीके से किया गया एक 'लोंगिट्यूडनल' अध्ययन है, जिसमें असंगठित कामगारों को दी जाने वाली फोन प्रश्नावली और अर्ध-संरचित साक्षात्कार शामिल हैं. ये साक्षात्कार असंगठित कामगार नेताओं और अन्य प्रमुख ज्ञापकों के साथ आयोजित किए गये. इस अध्ययन का दूसरा राउंड 2021 की पहली छमाही में आयोजित किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए, wiego.org/COVID-19-Global-Impact-Study पर जाएं.

'वोमेन इन इन्फ़ॉर्मल एम्प्लॉयमेंट: ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गनायज़िंग' (**WIEGO**), एक वैश्विक नेटवर्क है जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले गरीबों, विशेषकर महिलाओं की आजीविका को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है. हमारा मानना है कि सभी कामगारों को समान आर्थिक अवसर, अपनी आवाज उठाने का हक़, सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए. WIEGO, आंकड़ों में सुधार और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर ज्ञान का विस्तार करके, नेटवर्क का निर्माण और असंगठित कार्यकर्ता संगठनों के बीच क्षमता बढ़ाकर, नेटवर्क्स और संगठनों के साथ संयुक्त रूप से स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करके, परिवर्तन को बढ़ावा देता है. www.wiego.org पर जाएं.

WIEGO

Women in Informal Employment:
Globalizing and Organizing

जनपहल
EMPOWERING PEOPLE
JANPAHAL

ANNIVERSARY igsss
Indo-Global Social Service Society
Celebrating the Spirit of Humanity

यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र, ओटावा, कनाडा द्वारा दिए गए अनुदान की सहायता से किया गया था. इसमें व्यक्त विचार IDRC या इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं.

IDRC | CRDI

International Development Research Centre
Centre de recherches pour le développement international

Canada